



चुनौती दी है न कि विक्रय पत्र को। नामान्तरकरण की अपील सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को है। पैत्रिक भूमि में अपीलान्ट्स का बाई बर्थ हिस्सा बनता है। अतः वकील रेस्पोंडेंट सं० 1 द्वारा प्रस्तुत प्रा०प० अ०धा० 107 जा०दी० बाबत प्रारम्भिक आपत्ति दिनांकित 05.01.2022 सारहीन है। सारहीन होने से प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली में मैरीट पर निर्णय किये जाने हेतु पत्रावली वास्ते अन्तिम बहस के दिनांक 27.06.2022 को पेश हो।


  
जिला कलक्टर झुझुं  
जिला कलक्टर झुझुं

27-6-22 पत्रावली पेश हुई। वकील पद्मशरण उप०/ वकील पद्मशरण ने बहस हेतु आवक न्या। अतः आवक दिनांक 14-7-22 को पेश हो।

  
जिला कलक्टर झुझुं

14-7-22 पत्रावली पेश हुई। वकील पद्मशरण उपस्थित। अपीलान्ट जस्टिफ माता वकीलकेतव वकील के उपस्थित होकर एव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वे इस अपील को आगे नहीं चलाना चाहती हैं, अपील को विद्रोह माना जा रहा है। ऐसे में यह अपील खारिज हो चुकी है। सारहीन होने से अपील खारिज की जाती है। अतः पत्रावली फैलल कुमार होकर नम्बर ले कर हो एवं बाद तत्काल जायदादा दाखिल करवाकर दफ्तर हो।

Not pres  
अपिष्टा  
14/7/22  
सलोक  
आधार  
फाई  
14-7-22  
3583  
14-7-22

  
(एल० एस० कुंजी)  
जिला कलक्टर झुझुं



1. राजव पति जिला
2. रौनव पति जिला
3. राजे जिला
4. सुरेश
5. सुमि
6. सीन जिला
7. केस जिला
8. राजे जिला
9. वि